<u>पंजीकृत डाक</u>

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–9
लखनऊः दिनांक 08/10/2023

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के श्री अजय गोयल, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रति सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वर्णजयन्तीपुरम् आवासीय योजना के भुखण्डों की पुनर्बहाली / पुनर्आवंटन की आड़ में की गयी अनियमितता के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने हेतु इनके विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप संख्या–1943 / आठ–9–19–179डीए / 2018 दिनांक 30.12.2019 द्वारा उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली–1985 के नियम–33 सहपठित उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत विभागीय जॉच की कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त विभागीय जॉच की कार्यवाही के संचालनार्थ आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को पदनाम से जांच अधिकारी नामित किया गया। श्री गोयल के विरूद्ध शासन के पत्र दिनांक 31.07.2020 द्वारा आरोप पत्र निर्गत किया गया।

2– जांच अधिकारी / आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.06.2023 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी। शासन द्वारा प्रश्नगत जांच आख्या के सम्यक परीक्षणोपरान्त पुनः जांच कराये जाने का निर्णय लेते हुए पूर्व में नामित जॉच अधिकारी / आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के स्थान पर आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर को एतद्द्वारा जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं।

3– जाँच अधिकारी / आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 एवं कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–13 / 9 / 98 / कार्मिक–1–2015, दिनांक 22.04. 2015 में निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन करते हुए जाँच पूर्ण कर जाँच आख्या 01 माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जाये तथा अपचारी अभियन्ता श्री अजय गोयल, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रति सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वह जाँच पूर्ण करने में जाँच अधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। जांच अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपचारी अभियन्ता को व्यक्तिगत / मौखिक सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, जाँच की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पूर्व जांच अधिकारी/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को इस निर्देश सहित प्रेषित की परिवर्तित जांच अधिकारी/आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर को प्रश्नगत जांच से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे समयबद्ध रूप से जांच की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।
2. जांच अधिकारी/आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बन्धित अभियन्ता की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया श्री अजय गोयल, सहायक अभियन्ता को तामील कराकर तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को इस निर्देश सहित प्रेषित कि प्रश्नगत जांच के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा वांछित अभिलेख प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. श्री अजय गोयल, सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 को श्री अजय गोयल की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।
7. संबंधित समीक्षा अधिकारी को कम्प्यूटर में जाँच की सूचना को अद्यतन किये जाने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।